इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3379

25 अप्रैल, 2013 को उत्तर के लिए

प्रमुख इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादन

3379. श्री के.सी. त्यागी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से संचालित सभी प्रमुख इस्पात संयंत्रों द्वारा कुल कितने इस्पात का उत्पादन किया जाता है;

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा इस्पात की कुल मांग का कितना प्रतिशत पूरा किया जाता है;

(ग) निजी क्षेत्रों से मिल रही कठिन प्रितस्पर्धा के मद्देनजर, सेल को किन-किन बाधाओं/कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस्पात क्षेत्र की बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र की दो इस्पात निर्माण कम्पनियां नामत: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड(आरआईएनएल) मौजूद हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान सेल और आरआईएनएल द्वारा क्रूड स्टील का उत्पादन क्रमश: 13.41 मिलियन टन और 3.07 मिलियन टन किया गया है।

(ख) वर्ष 2012-13 में देश में फिनिश्ड स्टील की कुल मांग में सेल की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत थी।

(स्रोत: जेपीसी की मार्च 2013 की रिपोर्ट)

जारी/-

(ग) निजी क्षेत्र में स्टील कंपनियों ने अधिक खपत के क्षेत्रों यथा ऑटो, व्हाईट गुड्स, तेल एवं गैस, शिप निर्माण इत्यादि की जरुरतों को पूरा करने के लिए नई सुविधाएं जोड़ी हैं। सेल के वर्तमान उत्पादन से इन क्षेत्रों की पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। इस बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा ने न केवल सेल बल्कि अन्य स्टील उत्पादकों को भी अपने उत्पाद की उपलब्धता और ग्राहक सेवा के स्तर में निरंतर सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जेपीसी के अनुमान के मुताबिक स्टील की मांग में हाल ही में कमी होने, जिसके वर्ष 2012-13 में 3.3 प्रतिशत बढ़ जाने का अनुमान है और साथ ही विश्व बाजारों मे निरंतर अस्थिरता आने के कारण सेल समेत घरेलू स्टील उत्पादकों पर अपनी बॉटम लाईन पर परिवर्तन किए बिना अपने उत्पादों का विपणन करने का दवाब बढ़ गया है।

(घ) स्टील एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है। सरकार उद्योग के निष्पादन संबंधी अपने मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त नीतिगत उपाय करके स्टील उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करती है तथापि, सरकार ने स्टील की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और स्टील क्षेत्र हेतु कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न अन्य एजेंसियों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करने तथा स्टील क्षेत्र में विभिन्न परियाजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमसी) का गठन किया गया है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामत: सेल/आरआईएनएल क्रूड/फिनिश्ड स्टील क्षमता के मामले में बड़े पैमाने पर विस्तार कार्यों का क्रियान्वयन करने में प्रक्रियारत हैं।

(iii) स्टील उद्योग के लिए कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल, स्क्रैप इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों के आयात पर शून्य अथवा कम स्तर का सीमा शुल्क लगाया जाता है।

(iv) घरेलू लोहा और स्टील उद्योग के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता में सुधार करने तथा घरेलू मूल्य अभिवृद्धि को भी प्रोत्साहित करने के लिए लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है।

****